

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक—वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/1805/2021 लखनऊ::दिनांक 17 नवम्बर, 2021

—:आदेश:—

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ—मुरादाबाद के पत्रांक—278/2021, दिनांक 10.11.2021 पर सम्यक् विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा—57(12)(ई)(ii) के अर्न्तगत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनके कार्यालय में लम्बित निम्नलिखित स्थगन आदेश के विरुद्ध अपीलों को कार्यालय सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—बरेली को नियमानुसार निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

क्रम सं०	अपील संख्या	फर्म का नाम व पता	क०नि०वर्ष
1.	179/2021	सर्वश्री बालाजी पेड्डी प्रोडक्ट्स, डिवडिबा बिलासपुर रामपुर	2017-18(प्रान्तीय)
2.	180/2021	सर्वश्री महावीर इण्डस्ट्रीज, डिवडिबा, बिलासपुर रामपुर	2017-18(प्रान्तीय)
3.	181/2021	सर्वश्री महावीर इण्डस्ट्रीज, डिवडिबा, बिलासपुर रामपुर	2017-18(प्रान्तीय)

ए०/-
(विनय सिंह)

एच०जे०एस०

प्र०अध्यक्ष, वाणिज्य कर, अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांक संख्या—वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/1805/2021, दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1.सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ—मुरादाबाद।
- 2.सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—बरेली।
- 3.असि०कमि०/रा०प्रति० मुरादाबाद/पीठ—बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4.वरिष्ठ सहायक विवरण, मुख्यालय।
- 5.आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।
- 6.वेवअधिकारी मुख्यालय।

आज्ञा से

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।